न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मऊ

वाद सं0 1016 धारा 143 ज0 वि अधि0
मौजा – मखना परगना – भदाँव
रमाशंकर सिंह महाविद्यालय बनाम गाँवसभा आदि

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जय प्रताप सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह निवासी मखना प्रबन्धक रमाशंकर सिंह महाविद्यालय मखना मऊ परगना – भदाँव में गाँवसभा को बतौर प्रतिवादी मानते हुए मौजा मखना परगना भदाँव तहसील सदर जिला मऊ स्थित गाटा सं0 639 रकबा 1.015 हे0 को अकृषित घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमिबैनामा शुदा भूमि है जिसे महाविद्यालय द्वारा क्रय किया गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त भूमि खण्ड कि स्थित के बारे में जाँच कराकर अकृषित घोषित करने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फसली वर्ष 1424 से 1429 व बैनामा की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

सूचना हेतु विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गए जो संलग्न पत्रावली है। किसी द्वारा कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की गयी है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार सदर से कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया। क्षेत्रिय लेखपाल / रा0 नि0 / नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत किया है। जिसमे मुख्य रुप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम मखना परगना भदाँव व तहसील सदर स्थित गाटा सं0 639 रकबा 1.015 हे0 और रमाशंकर सिंह महाविद्यालय मखना परगना भदाँव के नाम से संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। जिस पर कृषि कार्य नही हो रहा है मौके पर उक्त महाविद्यालय का भवन व चारदिवारी निर्मित है उक्त भूमि पर कृषि प्रायोजन से भिन्न अकृषित घोषित किये जाने कि आख्या संस्तुति प्रेषित को गयी है। जिसे तहसीलदार द्वारा आख्या अग्रसारित की गई है।

मैंने तहसीलदार की जाँच आख्या एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो / सबूतों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि मौजा मखना परगना भदाँव तहसील सदर गाटा सं0 639 रकबा 1.015 हे0 पर रमाशंकर सिंह महाविद्यालय मखना परगना भदाँव के नाम से संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। जिस पर कृषि कार्य नही हो रहा है। भूमि पर महाविद्यालय का भवन व चारदिवारी निर्मित है। ऐसी स्थिती में धारा 143 ज0 वि0 अधि0 नियम 135 के तहत गाटा सं0 को कृषि से भिन्न प्रस्थापित किया जाना उचित एंव न्याय संगत है।

उप जिलाधिकारी
सदर-मऊ

ट्रस्टी/अध्यक्ष
श्री रमाशंकर संस्थान
सा.14/67 ए-5, निकट रेलवे क्रासिंग
बरईपुर, पाई सारनाथ, वाराणसी

आदेश

आ० तहसीलदार की आख्या 11–10–2018 से सहमत होते हुए मौजा–मरवना परगना–भदोव [?] तहसील सदर स्थित गाटा सं0 639 रकबा 1.015 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किया जाता है। परवाना अमल बरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक– 11-10-2018

11-10-18

उपजिलाधिकारी सदर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित एव घोषित।

दिनांक– 11-10-2018

प्रति मिलान कर्ता

[illegible] - 2000

उप जिलाधिकारी

11-10-18

उपजिलाधिकारी सदर

ट्रस्टी/सचिव
श्री रमाशंकर संस्थान
सा.14/67 ए-5, सिद्ध पेठा कालोनी
बरईपुर, वाराणसी